कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ,बांदा।

ACCRSD

पत्रांक– 569 /स्पीड /अधिसूचना/ स0सु0/2020 दिनांक–20.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अर्न्तगतकेन्द्रसरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणो से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है। और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के मोटर यान रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियो की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

22/6/2020

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बांदा जनपद होकर संचालित वाहनो को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों के मार्गो के या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एंव संख्या	स्थान (कहां सेकहां तक) जहां गति निबन्धित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दूव्हीलर/थ्रीव्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्री यान	चलक सहित 8 से 12 सीटो तक वाले यात्री यान	समस्त मालयान एंव स्तम्भ 4,5 एंव 6 को छोडकर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	बहराईच–बांदा मार्ग	बांदा से चिल्ला पुल तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	फतेहपुर–बबेरू–अतर्रा–नरैनी–करतल मार्ग	औगासी से करतल तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	बांदा–बबेरू–कमासिन– राजापुर मार्ग	बांदा से ओझानगर (कमासिन)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	बांदा–नरैनी–कालिंजर मार्ग	बांदा से कालिंजर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	बबेरू–तिन्दवारी–सुमेरपुर मार्ग	बबेरू से सिकहुला तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1988 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–
   अ)अग्नि शमनवाहन
   ब) एम्बुलेन्स।
   स)पुलिसवाहन।
   द) कानून एंव व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
   य)प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 137, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथासंशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञासे

(राजेश कुमार वर्मा)
सहायक सम्भागीय परिवहनअधिकारी
/रजिस्ट्रीकर्ताप्राधिकारी
बांदा।

पृ0सं0– /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, बांदा।
4. पुलिस अधीक्षक, बांदा।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ उ0प्र0।
8. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद में प्रकाशित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहनअधिकारी
/रजिस्ट्रीकर्ताप्राधिकारी
बांदा।